न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 12/2022

प्रार्थी

कान्तिलाल पुत्र सांकलेश्वर जी, जाति– ब्राह्मण, निवासी– गोल, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

ग्राम पंचायत, गोल जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, गोल, तहसील व जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से

(2) अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, अप्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 13 नवम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, गोल द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांकःग्रापं/2022/SPl 01 दिनांक 21.2.2022 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दवे ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम गोल में प्रार्थी के पुराने किराये की वर्तमान कब्जे मालकी की दुकान आई हुई है, जिसके उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में पोसाराम सेन का कियोस्क, पूर्व दिशा में पडत भूमि व पश्चिम दिशा में पडत राजकीय भूमि है व नाप उत्तर–दक्षिण 11 फीट व पूर्व–पश्चिम 9 फीट कुल समचौरस 990 वर्गफीट है। प्रार्थी ने 40–45 वर्ष पूर्व उक्त केबिन भूमि किराये पर ली थी, तब से वर्ष 2016 तक प्रार्थी नियमानुसार किराया जमा करवा रहा था। बाद में अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल द्वारा दुकान का नियमन करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर प्रार्थी ने नियमानुसार नियमन शुल्क रुपये 10,000/– व बकाया किराया रुपये 5,000/– सहित कुल रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार) जरिये रसीद संख्या 744 दिनांक 01.3.2016 से ग्राम पंचायत, गोल में जमा करवाये। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल द्वारा प्रार्थी के उक्त भूमि पर केबिन की जगह पक्की दुकान बनाने की भी स्वीकृति दी, जिस पर प्रार्थी ने पक्की दुकान बनाई और विद्युत संबंध हेतु ग्राम पंचायत, गोल ने प्रार्थी को अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांकःग्रा.पं.गो./2016–17/80 दिनांक 06.6.2016 को जारी किया है, लेकिन उसके बावजूद प्रार्थी को उसके कब्जे मालकी की भूमि का अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल द्वारा अभी तक पट्टा जारी नही किया गया है।" जिस पर प्रार्थी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर में उक्त केबिन भूमि का पट्टा जारी करवाने हेतु शिकायत की एवं प्रार्थी की शिकायत से नाराज होकर वर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत, गोल द्वारा प्रार्थी को उसके कब्जे मालकी की दुकान को खाली करने की धमकी दी और बाद में प्रश्नगत नोटिस दिनांक 21.2.2022 को जारी किया है, जो गलत व निरस्त योग्य है। प्रार्थी को ग्राम पंचायत, गोल द्वारा एक बार केबिन का आवंटन कर दिया गया है और उससे नियमन का शुल्क भी प्राप्त कर दिया है तो अब अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया जाना कानूनन गलत है। उक्त नोटिस में प्रार्थी की विनि[illegible]ण की पत्रावली को खारिज करना

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

लिखा है। जबकि अप्रार्थी द्वारा मार्च, 2016 में राशि प्राप्त करने के बाद केबिन की भूमि पर पक्का निर्माण की अनुमति देने व उक्त केबिन भूमि प्रार्थी के मालकी की होना मानते हुए विद्युत कनेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जून, 2016 में जारी कर दिया है। जबकि जून, 2016 से आज तक ना तो कभी भी प्रार्थी के विनियमितिकरण की पत्रावली को निरस्त करने के संबंध में प्रार्थी को नोटिस नही दिया है और न ही प्रार्थी को सुनवाई हेतु कोई सूचना दी गई है तथा न ही प्रार्थी की ग्राम पंचायत में जमा राशि ब्याज सहित लौटाई है। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा जान बूझकर प्राथी को परेशान करने की नियत से गलत नोटिस जारी किया है। प्रार्थी ने वर्ष 2016 में अपना किराया व नियमन शुल्क रुपये 15,000/– जमा कराने के बाद करीब दो लाख रुपये खर्च कर पक्की दुकान बनाई है और अब अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को पट्टा जारी नही करने के लिये की गई शिकायत से नाराज होकर अप्रार्थी द्वारा नोटिस दिनांक 21,2,2022 को जारी किया है, जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपनी केबिन की भूमि पर पक्की दुकान निर्माण कर अपना व्यापार कर जीवन निर्वाह कर रहा है, अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल को नियमानुसार प्रार्थी के पक्ष में केबिन भूमि का पट्टा जारी करना चाहिये था, लेकिन ग्राम पंचायत, गोल द्वारा प्रार्थी को उक्त भूमि का पट्टा जारी नही कर गलत रुप से प्रार्थी के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस दिनांक 21.2.2022 को निरस्त करके प्रार्थी को उक्त दुकान भूमि का पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत, गोल को आदेशित किया जावे। जबकि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल के विद्वान अधिवक्ता श्री चौधरी ने बहस के दौरान अप्रार्थी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि निगरानी आवेदन में वर्णित नाप व चतुर्दशी की ग्राम गोल में किराये की केबिन की भूमि आई हुई है, यह केबिन भूमि प्रार्थी के मालकी की नही होकर ग्राम पंचायत, गोल के मालकी स्वामित्व की भूमि है एवं इस भूमि को पंचायत ने निजी आय प्राप्त करने के लिये किराये पर दी थी। प्रार्थी ने उक्त केबिन भूमि को किराये पर लिया है, जिसका किराया प्रार्थी द्वारा वर्ष 2016 तक का जमा कराया गया है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल द्वारा प्रार्थी को उक्त केबिन भूमि पर केबिन की जगह पक्की दुकान बनाने की स्वीकृति नही दी गई है। प्रार्थी ने केबिन का किराया रसीद संख्या 744 दिनांक 01.3.2016 के जरिये किराया की राशि व अस्थाई केबिन विनियमितिकरण की राशि रुपये 10,000/– जमा कराये थे, लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल से अनापत्ति प्राप्त किये बिना तथा ग्राम पंचायत को सूचित किये बिना ही पंचायत द्वारा किराये पर दी गई केबिन भूमि का पट्टा जारी किये बिना ही व विनियमितिकरण किये जाने से पूर्व ही पक्का निर्माण कर दिया। जिस पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 09.3.2016 को प्रस्ताव संख्या 2 से निर्णय लिया कि प्रार्थी ने पंचायत से किराये पर संचालित केबिन का पट्टा जारी होने या विनियमितिकरण होने से पूर्व ही मौके पर पक्का निर्माण कर पंचायती राज नियमों की अवहेलना की है। प्रार्थी द्वारा किराये पर संचालित केबिन भूमि पर पक्का निर्माण करना अतिक्रमण की श्रेणी मे आता है। साथ ही, तत्समय पंचायत सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण भी किया गया जिसमें यह तथ्य उजागर हुआ कि उक्त केबिन के विनियमितिकरण से रास्ता संकरा हो सकता है और यातायात प्रभावित होगा, आगामी वर्षों में आवागमन में समस्या हो सकती है तथा उक्त केबिन किराया विनियमितिकरण की पत्रावली निरस्त की जाती है, का निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया गया है। साथ ही जमा आवंटन राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रुपये) प्रार्थी के अतिक्रमण हटाने के हर्जे खर्चे की पूर्ति में राशि समायोजित की जायेगी। उक्त प्रस्ताव संख्या 3 को प्रार्थी ने कभी भी किसी भी सिविल या अन्य न्यायालय में चुनौती नही दी है, जिससे ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 अन्तिम व निर्णायक हो चुका

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

है। यह कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल द्वारा उक्त प्रस्ताव की अनुपालना में व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है। जब उक्त प्रस्ताव संख्या 3 से ग्राम पंचायत, गोल द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमी मान लिया था एवं किराये की केबिन भूमि के विनियमितिकरण की पत्रावली निरस्त कर दी गई थी उसके बावजूद भी प्रार्थी ने ग्राम पंचायत द्वारा किराये पर दी गई केबिन भूमि पर पक्का निर्माण दुकान के रूप करके दुकान संचालित कर रहा है तथा वर्ष 2016 से किराया भी प्रार्थी अदा नही कर रहा था जिससें पंचायत की निजी आय प्रभावित हो रही थी। सामान्यतया विधुत संबंध मुलभूत आवश्यकताओं की श्रेणी में आता है विधुत सम्बंध के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर स्वामित्व का दावा कानूनन नहीं किया जा सकता अर्थात् विधुत संबंध का अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वामित्व का प्रतीक नहीं है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल ने कभी भी प्रार्थी को केबिन का आवंटन नही किया है एवं न ही नियमन शुल्क डीएलसी दर पर प्राप्त की है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल ने प्रार्थी को किराये पर दी गई केबिन भूमि पर पक्का निर्माण की अनुमति भी कभी नही दी है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी के केबिन विनियमितिकरण की पत्रावली वर्ष 2016 में ही प्रस्ताव संख्या 3 के द्वारा निरस्त हो चुकी है। प्रार्थी ने बतौर अतिक्रमी किराये की केबिन भूमि पर पक्का निमार्ण किया है तथा वर्ष 2016 के बाद से किराया भी अदा नही किया हैं। प्रार्थी द्वारा पोर्टल पर भी ऑन लाईन शिकायत की थी, जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी द्वारा दी गई किराये के केबिन भूमि पर पैतृक कब्जा बताया है जिस पर विकास अधिकारी सिरोही ने प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, गोल के उक्त प्रस्ताव 3 की अवहेलना करने से प्रार्थी की शिकायत का निस्तारण कर दिया है। चूंकि प्रार्थी ने किराये की केबिन भूमि पर ग्राम पंचायत से एनओसी प्राप्त किये बिना ही पक्का निर्माण किये जाने से ही ग्राम पंचायत, गोल ने प्रस्ताव संख्या 3 के द्वारा पक्के निर्माण को अतिक्रमण मान लिया था और उक्त 10000/— की राशि अतिक्रमण हटाने के खर्चे में समायोजित किये जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया था। उक्त प्रस्ताव के विरूद्ध प्रार्थी ने किसी भी न्यायालय में निगरानी या पिटीशन नही की है एवं न ही चुनौती दी है जिससे कानूनी रूप से ग्राम पंचायत, गोल का उक्त प्रस्ताव संख्या 3 अस्तित्व में होकर प्रभावी है जिसकी पालना किया जाना पंचायत का अधिकार एवं दायित्व है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी, इस निगरानी आवेदन के माध्यम से ग्राम पंचायत, गोल द्वारा प्रार्थी को किराये पर दी गई केबिन भूमि पर मालिकाना हक घोषित करवाना चाहता है, जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, गोल द्वारा प्रार्थी कान्तिलाल पुत्र सांकलेश्वर जी, जाति— ब्राह्मण, निवासी— गोल के विरुद्ध नोटिस क्रमांकःग्रापं/2022/SPl 01 दिनांक 21.2.2022 को इस आशय का जारी किया है कि "ग्राम पंचायत, गोल द्वारा पंचायत आबादी भूमि पर अस्थाई केबीन किराये पर रखवाया गया था, जिसका फरवरी, 2016 तक का किराया जमा है, तत्पश्चात् उक्त किरया भूमि का विनियमितीकरण करवाने का आवेदन करने पर पंचायत द्वारा विनियमितीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, परन्तु आपने इस दरम्यान बिना पंचायत की पूर्व स्वीकृति के अवैध रुप से केबिन के स्थान पर पक्की दुकान का निर्माण कर दिया, जिस पर पंचायत ने आपकी विनियमितीकरण पत्रावली को खारिज कर दिया था, अतः मार्च, 2016 से आज तक का किराया जमा करावे एवं किये गये अवैध निर्माण को स्वयं हटाना सुनिश्चित करे, अन्यथा पंचायत द्वारा हटा दिया जायेगा।"

......पेज चार पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि ''प्रार्थी ने 40–45 वर्ष पूर्व उक्त केबिन भूमि किराये पर ली थी, तब से वर्ष 2016 तक प्रार्थी नियमानुसार किराया जमा करवा रहा था। बाद में अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल द्वारा दुकान का नियमन करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर प्रार्थी ने नियमानुसार नियमन शुल्क रुपये 10,000/– व बकाया किराया रुपये 5,000/– सहित कुल रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार) जरिये रसीद संख्या 744 दिनांक 01.3.2016 से ग्राम पंचायत, गोल में जमा करवाये। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल द्वारा प्रार्थी के उक्त भूमि पर केबिन की जगह पक्की दुकान बनाने की भी स्वीकृति दी, जिस पर प्रार्थी ने पक्की दुकान बनाई और विद्युत संबंध हेतु ग्राम पंचायत, गोल ने प्रार्थी को अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांकःग्रा.पं.गो./2016–17/80 दिनांक 06.6.2016 को जारी किया है, लेकिन उसके बावजूद प्रार्थी को उसके कब्जे मालकी की भूमि का अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल द्वारा अभी तक पट्टा जारी नही किया गया है।''

प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ग्राम पंचायत, गोल में जमा करवाई गई किराये की राशि व भूमि आवंटन की राशि की रसीद संख्या 744 दिनांक 01.3.2016 की छाया प्रति व किराया राशि जमा कराने की रसीदों की छाया प्रतियां तथा ग्राम पंचायत, गोल द्वारा प्रार्थी को विद्युत कनेक्शन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 80 दिनांक 06.6.2016 की छाया प्रति प्रस्तुत की है, लेकिन प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में अंकित कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, गोल से किराये की केबिन भूमि पर पक्का निर्माण कार्य करने की स्वीकृति प्राप्त करके पक्की दुकान का निर्माण किया गया है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम पंचायत, गोल के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 09.3.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी कान्तिलाल पुत्र सांकलेश्वरजी ब्राह्मण द्वारा पट्टा जारी होने या विनियमितिकरण होने से पूर्व ही मौके पर पक्का निर्माण करने से प्रार्थी के पक्के निर्माण को पंचायती नियमों की अवहेलना व अतिक्रमण मानते हुए एवं उक्त केबिन भूमि के विनियमितिकरण से रास्ता संकडा होने व स्थाई निर्माण से यातायात प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के उक्त केबिन भूमि के नियमन की पत्रावली को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

चूंकि प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, गोल द्वारा प्रार्थी को किराये पर दी गई केबिन भूमि पर ग्राम पंचायत, गोल की अनुमति व स्वीकृति के बिना ही पक्का निर्माण कर लिया है, जो राजस्थान पंचायती राज नियमों का उल्लंघन एवं अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत, गोल द्वारा उक्त प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 09.3.2016 के द्वारा निर्णय पारित कर प्रार्थी की उक्त केबिन भूमि नियमन की पत्रावली को भी निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत, गोल द्वारा उक्त प्रस्ताव की पालना में प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस विधि अनुरुप है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थी सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13 नवम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested